बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र० / BSP(H)CL–06 / 2025(खंड–II)– / पटना, दिनांक–

प्रेषक,

सुधा गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई, 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त, 2025 से 125 यूनिट प्रति माह खपत तक शत् प्रतिशत अनुदान देने हेतु "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" के विस्तारीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अतिरिक्त 3797.00 करोड़ (तीन हजार सात सौ संतानवे करोड़) रुपये स्वीकृत राशि के विरूद्ध माह फरवरी, 2026 में 1265.66 करोड़ (एक हजार दो सौ पैसठ करोड़ छियासठ लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–866 दिनांक–13.02.2026 के आलोक में राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई, 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त, 2025 से 125 यूनिट प्रति माह खपत तक शत् प्रतिशत अनुदान देने हेतु "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" के विस्तारीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अतिरिक्त 3797.00 करोड़ (तीन हजार सात सौ संतानवे करोड़) रुपये स्वीकृत राशि के विरूद्ध माह फरवरी, 2026 में 1265.66 करोड़ (एक हजार दो सौ पैसठ करोड़ छियासठ लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को भुगतान हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष, 2801–विद्युत–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष–0004–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, विपत्र कोड–10–2801801900004 विषय शीर्ष–33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
201,41,20,00,000.00	172,60,12,00,000.00	12,65,66,00,000.00	185,25,78,00,000.00	16,51,42,00,000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा **CFMS** के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना चालू खाता संख्या–10839114909 एवं **IFSC Code-SBIN0000153** में की जायेगी।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/BSP(H)CL–06/2025(खंड–II)– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/BSP(H)CL–06/2025(खंड–II)– 18 /पटना, दिनांक– 16.02.2026

प्रतिलिपिः–लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा–7, वित्त विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं आई०टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.02.26

सरकार के संयुक्त सचिव।